

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक :प.10(1) शिक्षा-1/क्रांतिकारी चारुचंद्र बोस आ. स. पु./2025 जयपुर, दिनांक: यथाहस्ताक्षर।

—: आदेश :-

बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, राजस्थान द्वारा संचालित “मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार” तथा “शारीरिक अक्षमता-युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार” दोनों योजनाओं को मर्ज कर “क्रांतिकारी चारु चन्द्र बोस आर्थिक सबलता पुरस्कार” के नाम से एक ही योजना संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

योजना की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

(ओ.पी. वर्मा)

वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
6. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
7. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
9. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)/ प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग।
10. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5)/ प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
11. संयुक्त निदेशक, जनशक्ति विभाग।
12. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
13. सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, राजस्थान, जयपुर।
14. वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
15. उपनिदेशक (मूल्यांकन), शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग।
16. उपनिदेशक, योजना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
17. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव



राजस्थान सरकार
शिक्षा गुप (प्रथम) विभाग

जयपुर, दिनांक: 29/8/2005

क्रमांक:- प.26(19)शिक्षा-1/94

आयुक्त
प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
बीकानेर।

सचिव
बालिका शिक्षा फाउण्डेशन
जयपुर

विषय :- वर्ष 2005-06 में बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा संचालित की जाने वाली योजना " मूक-बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार" के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,
वर्ष 2005-06 में बालिका शिक्षा फाउण्डेशन के अन्तर्गत मूक-बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा लागू की गई है। इस का क्रियान्वयन बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा निम्नानुसार किया जावेगा :-

परिचय :- बालिका शिक्षा फाउण्डेशन के उद्देश्यों के अन्तर्गत मूक-बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। इसी क्रम में कक्षा-8 एवं कक्षा-10 परीक्षा उत्तीर्ण कर आगामी कक्षा 9 व 10 एवं कक्षा-11 व 12 में अध्ययनरत छात्राओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना योजना का उद्देश्य है।

योजना का विवरण :-

1. पुरस्कार का नाम :-
मूक- बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार।
2. पुरस्कार की राशि :-

इस पुरस्कार की राशि 2000/-रूपये प्रति वर्ष प्रति छात्रा होगी तथा प्रथम वर्ष में बैंक में खाता खुलवाने हेतु 100/- रूपये अतिरिक्त दिये जावें।

3. पात्रता :-

राजकीय मूक-बधिर व अन्ध विद्यालयों की ऐसी छात्राएं जो की गत वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर आगामी वर्ष में अगली कक्षा में अध्ययनरत है, उक्त पुरस्कार के लिए पात्र होगी।

4. विकलांग की परिभाषा :-

समाज कल्याण विभाग राजस्थान के नोटिफिकेशन नम्बर एफ-9 (4)एच.सी.एच. /पी.एच./स्टेट/81-82 के अनुसार विकलांगता परिशिष्ट "अ" के अनुसार निर्धारित होगी।

5. छात्राओं की अनुमानित संख्या :- 200

6. वित्तीय भार 200 x 2100 रूपये= 4.20 लाख रूपये

7. योजना की क्रियान्विति के चरण :-

1. राजकीय मूक-बधिर व अन्ध विद्यालयों से पुरस्कार प्राप्त करने वाली छात्राओं की सूची संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्राप्त की जावेगी।
2. चयनित छात्राओं को पुरस्कार राशि का ड्राफ्ट एवं प्रमाण पत्र छात्रा के अध्ययनरत विद्यालय में भिजवाया जायेगा।
3. राशि वितरण पश्चात संबंधित प्रधानाचार्य से प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावेगी।
4. पुरस्कृत छात्राओं का विवरण फाउण्डेशन की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावेगा।
5. छात्राओं की शैक्षणिक स्तर की जानकारी संबंधित संस्था प्रधान से समय समय पर प्राप्त की जावेगी।

उक्त "मूक बधिर एवं नैत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना" के क्रियान्वयन की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त योजना का अनुमोदन माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से प्राप्त कर लिया गया है। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, आयुक्त प्रारम्भिक शिक्षा एवं सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर का यह दायित्व होगा कि वे इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर योजना का क्रियान्वयन तत्काल सुनिश्चित करेंगे।

(एस.के.अग्रवाल)
24/8/05

(एस.के.अग्रवाल)

उप शासन सचिव-प्रथम

राजस्थान सरकार
शिक्षा ग्रुप (प्रथम) विभाग

क्रमांक:- प.26(19)शिक्षा-1/94

जयपुर, दिनांक: 29/8/05

आयुक्त
प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
बीकानेर।

सचिव
बालिका शिक्षा फाउण्डेशन
जयपुर

विषय :- वर्ष 2005-06 में बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा संचालित की जाने वाली योजना "शारीरिक अक्षमता-युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार" के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

वर्ष 2005-06 में बालिका शिक्षा फाउण्डेशन के अन्तर्गत शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा लागू की गई है। इस का क्रियान्वयन बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा निम्नानुसार किया जावेगा :-

परिचय :-

बालिका शिक्षा फाउण्डेशन के उद्देश्यों के अन्तर्गत शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। इसी क्रम में कक्षा-8 एवं कक्षा-10 परीक्षा उत्तीर्ण कर आगामी कक्षा 9 व 10 एवं कक्षा-11 व 12 में अध्ययनरत छात्राओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना योजना का उद्देश्य है।

योजना का विवरण :-

1. पुरस्कार का नाम :-

शारीरिक अक्षमता-युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार।

2. पुरस्कार की राशि :-

इस पुरस्कार की राशि 2000/-रुपये प्रति वर्ष प्रति छात्रा होगी तथा प्रथम वर्ष में बैंक में खाता खुलवाने हेतु 100/- रुपये अतिरिक्त दिये जावें।

3. पात्रता :-
प्रत्येक जिले में कक्षा-8 एवं कक्षा-10 उत्तीर्ण कर अगली कक्षा-9 व 10 एवं कक्षा-11 व 12 में अध्ययनरत छात्राएँ पुरस्कार की पात्र होगी।
4. शारीरिक अक्षमता-युक्त की परिभाषा :-
समाज कल्याण विभाग राजस्थान के नोटिफिकेशन नम्बर एफ-9 (4)एच.सी.एच. /पी.एच./स्टेट/81-82 के अनुसार विकलांगता परिशिष्ट "अ" के अनुसार निर्धारित है।
5. छात्राओं की अनुमानित संख्या :- 500
6. वित्तीय भार 500 x 2100 रूपये= 10.50 लाख रूपये
7. क्रियान्विति के चरण :-
 1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कक्षा-10 उत्तीर्ण छात्राओं की तथा संबंधित डाइट के संस्था प्रधानों से कक्षा-8 उत्तीर्ण छात्राओं की सूची प्राप्त की जावेगी।
 2. संस्था प्रधान के माध्यम से छात्राओं का शारीरिक अक्षमता युक्तता (विकलांगता) एवं आगामी कक्षा में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र मंगवाया जावेगा।
 3. शारीरिक अक्षमता युक्त (विकलांगता) का प्रमाण पत्र :- बिन्दु संख्या-4 में वर्णित समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित माप-दण्डों के अनुसार होने पर एवं आगामी कक्षा में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान का ही मान्य होगा।
 4. पात्र छात्राओं की सूची डाइट एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त होते ही स्वीकृत राशि का ड्राफ्ट एवं प्रमाण पत्र छात्रा के अध्ययनरत विद्यालयों में भिजवाया जावेगा।
 5. छात्राओं की शैक्षणिक स्तर की जानकारी संबंधित संस्था प्रधान से समय समय पर की जावें।
 6. पुरस्कृत छात्राओं का विवरण फाउण्डेशन की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावेगा।

उक्त "शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार" के क्रियान्वयन की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त योजना का अनुमोदन माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से प्राप्त कर लिया गया है। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, आयुक्त प्रारम्भिक शिक्षा एवं सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर का यह दायित्व होगा कि वे इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर योजना का क्रियान्वयन तत्काल सुनिश्चित करेंगे।

(Signature)
28/8/05

(एस.के.अग्रवाल)
उप शासन सचिव-प्रथम

D.S. (B.S.F.)
26/5/21

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प 17(9) शिक्षा-1/ 2014 पार्ट

जयपुर, दिनांक :- 30.6.2021

-: आज्ञा :-

विभाग का आदेश क्रमांक प-26 (19) शिक्षा-1/94 जयपुर दिनांक 29.08.2005 के अनुसार "मूक-बधिर एवं नेत्रहीन" तथा "शारीरिक अक्षमता-युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है। इस आदेश की निरन्तरता में कक्षा 1 से 8 की बालिकाओं को आर्थिक सहायता राशि 2000/रु प्रति बालिका एवं कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं को राशि 5000/- प्रति बालिका सहायता राशि सत्र 2021-22 से दिये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

योजना की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

माननीय
30.06.21
(भारतेन्द्र जैन)

शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, (ग्रुप-5) विभाग।
8. उप शासन सचिव, (ग्रुप-2, 6) विभाग।
9. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर।
10. सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन जयपुर।
11. उप निदेशक, सांख्यिकी।
12. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक / प्रारंभिक।
14. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
15. समस्त प्रधानाचार्य, डाईट।
16. रक्षित पत्रावली।

30.06.21

(डॉ. रणवीर सिंह)
विशेषाधिकारी-शिक्षा

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प 17(9) शिक्षा-1/ 2014 पार्ट

जयपुर, दिनांक :- 30.6.2021

--: आज्ञा :-

विभाग का आदेश क्रमांक प-26 (19) शिक्षा-1/94 जयपुर दिनांक 29.08.2005 के अनुसार "मूक-बधिर एवं नेत्रहीन" तथा "शारीरिक अक्षमता-युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है। इस आदेश की निरन्तरता में कक्षा 1 से 8 की बालिकाओं को आर्थिक सहायता राशि 2000/रु प्रति बालिका एवं कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं को राशि 5000/- प्रति बालिका सहायता राशि सत्र 2021-22 से दिये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

योजना की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

मा. ति. नं.
30.06.2021
(भारतेन्द्र जैन)

शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
4. निजी सचिव, राज्य परि योजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, (ग्रुप-5) विभाग।
8. उप शासन सचिव, (ग्रुप-2, 6) विभाग।
9. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर।
10. सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन जयपुर।
11. उप निदेशक, साँख्यकी।
12. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक।
14. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
15. समस्त प्रधानाचार्य, डाईट।
16. रक्षित पत्रावली।

30.06.21

(डॉ. रणवीर सिंह)
विशेषाधिकारी-शिक्षा